(107)

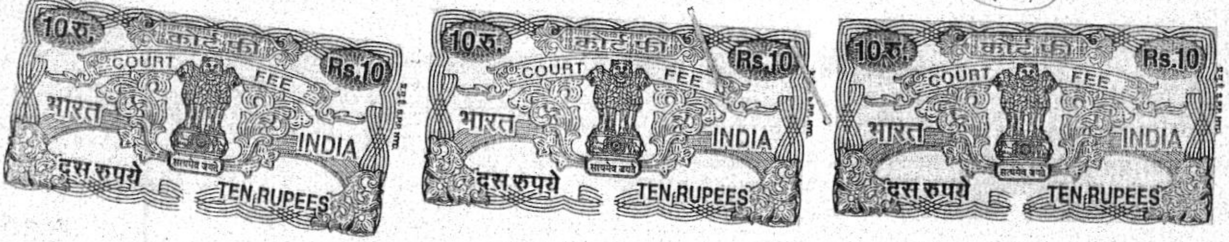

माननीय न्यायालयराजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्र० क्र० /पीबीआर/2018/निगरानी

PBR/निगरानी/ग्वालियर/भू.रा/2018/0076

देवेन्द्र सिंह पुत्र भगवान सिंह निवासी -
नाका चन्द्र बदनी लश्कर ग्वालियर
कृषक ग्राम बरौआ पिछोर परगना व जिला
ग्वालियर म०प्र०

...... प्रार्थी

बनाम

1- महेन्दे सिंह पुत्र हरचरन सिंह गुर्जर
निवासी बरौआ पिछोर ग्वालियर
2- राजेन्द्र सिंह पुत्रभगवान सिंह निवासी-
बरौआ पिछोर जिला ग्वालियर
3-रामदास पुत्रभगवानसिंह निवासी -
बाराघाटा तहसील व जिला ग्वालियर

...प्रतिप्रार्थीगण

श्री दिवाकर दीक्षित अधि. द्वारा आज दि. 3/1/18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 9/1/18 नियत। 3-1-18
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

दिवाकर दीक्षित अधि. ग्वा.

निगरानी आवेदन अन्तर्गतधारा 50 म०प्र०भू रा० संहिता 1959 के तहत

महोदय,

निवेदनहै कि प्रार्थी की निगरानी श्रीमान अपरकलेक्टर ग्वालियर द्वारा प्र० क० 2/16-17/अ-5 में पारित आदेश दिनांक 19.12.17 के विरूद्ध निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर / निग. / ग्वालियर / भू.रा. / 2018 / 0076

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16–1–2018	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर कलेक्टर जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–12–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर कलेक्टर के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा विकय अनुबंध पत्र के आधार पर व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 का पक्षकार बनाये जाने का आवेदन पत्र निरस्त किया है, क्योंकि विकय अनुबंध पत्र के आधार पर स्वत्व अर्जित नहीं हो सकते है, इसलिये उनके द्वारा पक्षकार बनाये जाने का आवेदन अस्वीकार किया है, जिसमें प्रथमदृष्टया कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	